



आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई

प्रीलमिस के लिये:

आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई, PEMSR ACT 2013, राष्ट्रीय अनुसूचित जातिआयोग

मेन्स के लिये:

मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित मुददे, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने की दशा में उठाए गए कदम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी नगर निकायों (Civic Bodies) को मैनहोल (Manhole) और सीवर की सफाई करने वाले स्वच्छता कर्मचारियों हेतु सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (Emergency Response Sanitary Units- ERSU) स्थापित करने का निर्देश दिया है।

महत्वपूरण बहु

- महाराष्ट्र सरकार ने कई मामलों में शर्मकिंग के दम घुटने, खतरनाक गैसों के कारण साँस लेने में समस्या या मृत्यु की सूचना के बाद यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- इससे पहले भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोकने के लिये समय-समय पर वभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रयास किये गए एवं वभिन्न दशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग?

- किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों (Human Excreta) की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) कहते हैं।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही भारत की जातिव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें यह माना जाता है कि यह तथाकथित नियमी जातियों का कार्य है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ERSU)

- ERSU की स्थापना संबंधी निर्देश में राज्य सरकार ने संबंधित निकाय के नगर आयुक्त को उत्तरदायी स्वच्छता प्राधिकरण (Responsible Sanitation Authority- RSA) की जिमिदारी सौंपी है।
- ERSU का नेतृत्व एक वरषित नागरिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा और ERSU सलाहकार बोर्ड में भी अन्य नागरिक अधिकारी होंगे जो सफाई उद्देश्यों के लिये मैनहोल में प्रवेश करने वाले शर्मकिंग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) तय करेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, नागरिक निकाय को ERSU के लिये एक समर्पित टोल-फरी नंबर भी शुरू करना होगा।
- यह इकाई स्वच्छता कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा केवल ERSU द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित शर्मकिंग ही सीवर की सफाई करने के लिये पातर होंगे। हालाँकि इस तरह के काम को करने के लिये मशीनों के उपयोग करने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यदि किसी कर्मचारी की सीवर की सफाई करते समय मृत्यु हो जाती है तो नागरिक निकाय उस घटना की जाँच के जाएगी और पुलसि शक्तियां दर्ज की जाएंगी।

PEMSR ACT, 2013

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषिद्ध और उनका पुनर्रवास अधनियम (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act) वर्ष 2013 से प्रभाव में आया।
- यह कानून सुरक्षा उपकरण और इंसेटरी शौचालय के निर्माण के बनि सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई करने वालों को नियोजिति करने पर रोक लगाता है।
- इस कानून का उल्लंघन करने और बनि सुरक्षा उपकरण के सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करवाने वालों को दो साल तक की कैद या दो लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- दोबारा अपराध की स्थितिमें अपराधियों को पाँच साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दशा-निर्देश

- वर्ष 2014 में मैनुअल स्कैवेंजर्जि से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यदि मैनुअल स्कैवेंजर्जि की प्रथा को समाप्त करना है और साथ ही आने वाली पीढ़ियों को इस अमानवीय प्रथा से बचाना है तो सीवर से होने वाली मौतों को कम करने के साथ-साथ हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्रवास के लिये बेहतर प्रबंध करना होगा।
- न्यायालय के अनुसार, आपात स्थितियों में भी सुरक्षा उपकरणों के बनि एक सफाई करमचारी को सीवर लाइनों में प्रवेश करने को अपराध माना जाना चाहयि।
- न्यायालय के अनुसार, यदि असुरक्षित परस्थितियों के कारण कस्ती सफाई करमचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहयि।
- न्यायालय ने अधिकारियों को वर्ष 1993 से ही मैनहोल और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले सवच्छता करमचारियों के परवार के सदस्यों की पहचान करने तथा उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देश

मैनुअल स्कैवेंजर्जि पर प्रतबंध लगाने वाले कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये आयोग ने वभिन्न निर्देश जारी किये हैं:

- आयोग के अनुसार, हाथ से सीवर को साफ करते समय शरमकियों को सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन मास्क के साथ पूरी तरह से सुसज्जित होना चाहयि।
- एक करमचारी को उचित उपकरण के बनि हाथ से सीवर को साफ करने के लिये भेजने हेतु ज़मिमेदार अधिकारियों या टेकेदारों के खलाफ प्राथमकी (FIR) दर्ज की जानी चाहयि।
- आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सभी नगर नगिमों के लिये प्रत्येक दौरान 10 लाख रुपए की बीमा पॉलसी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। ध्यातव्य है कि पॉलसी प्रीमियम का भुगतान नियोक्ताओं या नागरिक निकायों को करना होगा।

इस संदर्भ में राज्य सरकार के प्रयास

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी विकास वभिग ने नागरिक निकायों को निर्देश दिया है कि मैनुअल स्कैवेंजर्जि पर प्रतबंध लगाने वाले कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहयि और हाथ से मैला ढोने की प्रथा में शामलि लोगों का पुनर्रवास सुनिश्चित किया जाना चाहयि।
- साथ ही राज्य सरकार ने नागरिक निकायों को निर्देश दिया है कि वे सेप्टिक टैंक या मैनहोल को साफ करने वाले शरमकियों की मृत्यु को रोकने के लिये सभी संभव कदम उठाए जाने चाहयि।

मैनुअल स्कैवेंजर्जि को रोकने के लिये किये जा रहे अन्य प्रयास

- सभी नागरिक निकायों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिये कार्यशाला आयोजित करने के लिये निर्देशित किया गया है। ध्यातव्य है कि कार्यशालाएँ सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिये नवीनतम तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देंगी तथा इनका मुख्य उद्देश्य मशीनों के द्वारा सेप्टिक टैंक या मैनहोल को साफ करने का एक तरीका खोजना है।
- इन कार्यशालाओं में सवच्छता करमचारियों से संबंधित कानूनों, ERSU की स्थापना और उनकी भूमिकाओं, नवीनतम उपकरणों, मशीनों एवं सुरक्षात्मक उपकरणों से संबंधित जानकारियाँ भी प्रदान की जाएँगी।
- इन कार्यशालाओं में सवच्छता कार्यक्रम, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन, हाउसगि सोसायटी के सदस्य और सरकारी अधिकारी भाग लेंगे।

आगे की राह

- ध्यातव्य है कि सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा मैनुअल स्कैवेंजर्जि को रोकने की दशा में अनेक प्रयास किये गए हैं किंतु सबसे बड़ी समस्या उनके करियान्वयन की है इसलिये मैनुअल स्कैवेंजर्जि को रोकने की दशा में किये गए प्रयासों के सही करियान्वयन की आवश्यकता है।
- मैनुअल स्कैवेंजर्जि की प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है और इसमें जातीय वभिद प्रमुख तत्त्व है। अतः सामाजिक सुधारों एवं शक्षिका के माध्यम इन कुरीतियों एवं रुद्धिवादी विचारों को दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- मैनुअल स्कैवेंजर्जि की प्रथा पर रोक लगाने हेतु आमजन को इस संदर्भ में जागरूक करने के साथ ही आधुनिक उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य बनाए जाने की आवश्यकता है।

सरोतः द इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/emergency-response-sanitation-units>